अध्याय- V

वाहन, माल व यात्री कर

अध्याय-V

वाहन, माल व यात्री कर

5.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा ये निदेशक परिवहन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती हैं। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिनका संचालन राज्य के आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 45 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 258 मामलों में ₹128.26 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो **तालिका 5.1** में निम्नवत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 5.1

			₹ करोड़
क्रमांक	**श्रेणियां**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	**अवसूली/ अल्पवसूली** • सांकेतिक कर व समेकित फीस • विशेष पथ कर • यात्री व माल कर	88 81 28	5.87 114.06 3.17
2.	**अपवंचन** • सांकेतिक कर • यात्री व माल कर	13 16	2.26 2.49
3.	**अन्य अनियमितताएं** • वाहन कर • यात्री व माल कर	26 06	0.87 0.14
	योग	**258**	**128.86**

विभाग ने वर्ष के दौरान 281 मामलों में ₹10.22 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित की गई थी जिसमें से 2013-14 के दौरान 191 मामलों में ₹2.07 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

₹41.53 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ उदाहरणार्थ मामलों की विवेचना निम्नवत् परिच्छेदों में की गई है:

5.3 'विशेष पथ कर का निर्धारण और संग्रहण'

विशेष पथ कर वह कर है जो जनवरी 2000 में यात्री कर के स्थान पर लागू किया गया था और हिमाचल प्रदेश में चल रही समस्त स्टेज कैरिजों पर उद्ग्राहय था। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-क के अनुसार विशेष पथ कर समस्त स्टेज कैरिज परिवहन वाहनों पर मासिक रूप से उद्ग्राहय है और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर प्रत्येक मास की 15 तारीख को अग्रिम रूप में भुगतान योग्य है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग की 31 जुलाई 2002 से लागू दिनांक 26 जुलाई 2006 की अधिसूचना के अनुसार यदि किसी वाहन का मालिक निर्धारित अवधि के अंतर्गत विशेष पथ कर का भुगतान नहीं करता है तो मालिक को देय कर के 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति का भुगतान करना होगा।

'विशेष पथ कर का निर्धारण और संग्रहण' 2008-09 से 2012-13 की अवधि को आवृत्त करती, लेखापरीक्षा जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य सभी 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[1] के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् है:

5.3.2 विशेष पथ कर के निर्धारण और संग्रहण की अनुश्रवण प्रणाली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1974 के नियम 18 में प्रावधान है कि राज्य के सभी पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के माह के अंतर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण को फार्म-VIII में रिटर्न जमा करवाएंगे जिसमें पंजीकृत स्टेज कैरिजों की संख्या, जारी किए गए रूट परमिटों की संख्या, बस सेवा की श्रेणी तथा दिए गए मासिक विशेष पथ कर के निर्धारण आदि का विवरण होगा ताकि उनसे विशेष पथ कर तथा अन्य राशियों के उद्ग्रहण, प्रभार एवं संग्रहण के लिए प्रभावशाली नियंत्रण व देख-रेख हेतु शीर्षस्थ स्तर पर वाहनों के केन्द्रीकृत आंकड़े अनुरक्षित किए जाएं। इसके अतिरिक्त विशेष पथ कर के उचित निर्धारण तथा संग्रहण हेतु शीर्षस्थ स्तर पर एक अनुश्रवण प्रणाली बनाई जानी है।

लेखापरीक्षा ने राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य) की और पाया कि निदेशालय स्तर पर इस प्रकार के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार के आंकड़ों के न होने से प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के स्टेज कैरिजों के सम्बंध में पंजीकृत स्टेज कैरिजों की संख्या, जारी किए गए परमिट और महीना वार/ वर्ष वार देय तथा वसूल किया गया राजस्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

आगे अभिलेखों की जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य 'वाहन' साफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित आंकड़ों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 'वाहन' साफ्टवेयर में विशेष पथ कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और शास्ति के लिए मोड्यूल सम्मिलित नहीं था। शीर्षस्थ स्तर पर विशेष पथ कर पंजिकाओं, रूट परमिटों की पंजिकाओं के अनुरक्षण और राजस्व के निर्धारण तथा नियमित समय अंतराल पर फील्ड इकाइयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों) द्वारा वाहन मालिकों से राजस्व के संग्रहण पर रिटर्नों की प्रस्तुती की दृष्टि से कोई अनुश्रवण प्रणाली नहीं बनाई गई थी।

---

[1] बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

5.3.3 अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर का गलत निर्धारण

धारा 3 क की उप-धारा 4 के अनुसार यदि हिमाचल प्रदेश राज्य से भिन्न किसी राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहन प्रवेश करता है और किसी भी सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है अथवा राज्य में प्रयोग किये जाने के लिए रखा जाता है तो ऐसे प्रवेश पर निर्धारित रूप में विशेष पथ कर प्रभार्य होगा। अन्य राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी रूट परमिटों, जोकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन उपयोग में लाया जा रहा है, द्वारा यथावत प्रतिहस्ताक्षरित हों, के आधार पर हिमाचल प्रदेश में तय की गई संपूर्ण दूरी पर अन्य राज्यों[2] के स्टेज कैरिजों के सम्बंध में विशेष पथ कर भी लागू और प्रभार्य होगा।

लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[3] के कार्यालय में अनुरक्षित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रूट परमिटों/ विशेष पथ कर पंजिकाओं के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2013 और मार्च 2014 के मध्य) की और पाया कि सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परमिटों की संख्या तथा हिमाचल प्रदेश में चल रहे वाहनों के अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। जारी परमिटों अथवा सम्बंधित राज्यों द्वारा निष्पादित परस्पर अनुबंधों और अन्य राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये गए कर की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 145 मामलों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर चल रहे अन्य राज्य के कैरिजों द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार विशेष पथ कर का निर्धारण सही प्रकार से नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों के स्टेज कैरिज मालिकों से ₹10.05 करोड़[4] के विशेष पथ कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

5.3.4 गलत दर अथवा मील-दूरी को लागू करने के कारण विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त अथवा प्रयोग के लिए रखे गए समस्त परिवहन वाहनों पर विशेष पथ कर उद्ग्राह्य तथा प्रभार्य होगा और प्रत्येक मास की 15 तारीख को अग्रिम रूप में भुगतान योग्य होगा। यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि में देय विशेष पथ कर का भुगतान नहीं करता है तो कराधान प्राधिकरण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मालिक को देय कर की 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिए निदेश देगा। जनवरी 2006 की अधिसूचना के अनुसार विशेष पथ कर की दरें[5] मार्गों की श्रेणी जिन पर वाहन चल रहे थे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें और बस सेवाओं के वर्ग पर आधारित थी। तथापि जब वाहन अंतरराज्यीय मार्गों पर चलते हैं तब विशेष पथ कर की उच्च दरें लागू योग्य हैं।

---

2 हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

3 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

4 बिलासपुर: ₹103.20 लाख, कांगड़ा: ₹56.01 लाख, सिरमौर: ₹17.94 लाख, सोलन: ₹500.75 लाख तथा ऊना: ₹326.63 लाख

5 पहाड़ी क्षेत्र की सड़कों के लिए ₹6.04, ₹5.03, ₹4.03 तथा मैदानी क्षेत्र की सड़क के लिए ₹3.89, ₹3.23, ₹2.59 साधारण बस के लिए प्रति सीट प्रति किलो मीटर

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें

चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[6] की 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों द्वारा उपलब्ध करवाए गए मार्ग परमिटों और विशेष पथ कर निर्धारण विवरणी की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य) में पाया गया कि सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यह जांचने के लिए कि लागू दरें मार्ग के वर्गीकरण के अनुसार थी अथवा तय की गई दूरी मार्ग परमिटों में अनुमोदन के अनुसार थी, 15 मामलों की विशेष पथ कर विवरणियों की उचित प्रकार से संवीक्षा नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹67.50 लाख[7] के विशेष पथ कर का कम निर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त निर्धारित दरों पर ₹16.87 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

निजी स्टेज कैरिजें

छ: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मार्ग परमिटों की जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य विशेष पथ कर पंजिकाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 66 मामलों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने राज्य में चल रहे निजी स्टेज कैरिजों के लिए निर्धारित दरों, मील-दूरी तथा मार्गों के वर्गीकरण की जांच नहीं की थी। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कर का निर्धारण तथा भुगतान अंतरराज्यीय मार्गों के लिए निर्धारित दरों (जो अधिक है) के स्थान पर अंतर्राज्यीय मार्गों के लिए निर्धारित दरों पर किया गया था। इसके कारण ₹62.11 लाख[8] के राजस्व की अल्प वसूली हुई, इसके अतिरिक्त ₹15.53 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

5.3.5 डीलक्स, सेमी डीलक्स और वातानुकूलित बसों के विशेष पथ कर का अवनिर्धारण

हिमाचल प्रदेश सरकार (परिवहन विभाग) ने जनवरी 2006 की अधिसूचना द्वारा बस सेवा की लग्जरी क्लास के रूप में सेमी-डीलक्स, डीलक्स अथवा वातानुकूलित बसों के लिए विशेष पथ कर की उच्च दरें निर्धारित की थी।

सात कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों में हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेमी-डीलक्स, डीलक्स तथा वातानुकूलित बस सेवा के विशेष पथ कर निर्धारणों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य) में पाया गया कि 12 मार्गों पर 24 स्टेज कैरिज चल रही थी। विशेष पथ कर लागू योग्य उच्च दरों के स्थान पर सामान्य वर्ग की बस सेवा पर लागू दरों के आधार पर लगाया गया था। सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने न तो निरंतर अनियमितताओं को ठीक करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई निर्धारण विवरणियों को जांचा और न ही सम्बंधित हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों के प्रति कोई मासिक मांग उठाई थी। अत:, विशेष पथ कर के गलत लागू करने के परिणामस्वरूप ₹65.47 लाख[9] के विशेष पथ कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹16.37 लाख की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

---

[6] कुल्लू, शिमला, सोलन तथा ऊना

[7] कुल्लू: ₹8.12 लाख, शिमला: ₹21.13 लाख, सोलन: ₹29.89 लाख तथा ऊना: ₹8.36 लाख

[8] बिलासपुर: ₹7.33 लाख, हमीरपुर: ₹5.40 लाख, कुल्लू: ₹4.47 लाख, शिमला: ₹1.15 लाख, सोलन: ₹23.06 लाख तथा ऊना: ₹20.70 लाख

[9] बिलासपुर: ₹13.70 लाख, चम्बा: ₹5.99 लाख, हमीरपुर: ₹4.40 लाख, कांगड़ा: ₹13.02 लाख, कुल्लू: ₹12.08 लाख, मण्डी: ₹10.17 लाख तथा सिरमौर: ₹6.11 लाख

5.3.6 विशेष पथ कर का गैर-निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार जब पंजीकृत मालिक अथवा व्यक्ति जिसके पास अनुसूची-I अथवा III में विनिर्दिष्ट मोटर वाहन का अधिकार अथवा नियंत्रण है, कराधान प्राधिकरण को लिखित में पूर्व सूचना दे चुका है कि एक विशेष अवधि के लिए मोटर वाहन किसी भी सार्वजनिक स्थल में प्रयोग नहीं किया जाएगा और सम्बंधित पंजीकरण प्राधिकरण के पास मार्ग परमिट के साथ ऐसे मोटर वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जमा करवाता है तथा उसकी पावती प्राप्त करता है, तब उस अवधि के लिए उसे विशेष पथ कर के भुगतान से छूट दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि 2008-09 और 2012-13 की अवधि के लिए सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्टेज कैरिजों को 10 मार्गों के लिए परमिट जारी/ नवीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन मार्ग परमिटों के विशेष पथ कर का निर्धारण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.02 करोड़[10] की राशि का विशेष पथ कर अप्रभार्य था, इसके अतिरिक्त ₹25.28 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

5.3.7 निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-क के अनुसार विशेष पथ कर सभी स्टेज कैरिज परिवहन वाहनों पर मासिक रूप से उद्ग्राहय है और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर प्रत्येक मास की 15 तारीख को अग्रिम रूप में भुगतान योग्य है।

जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की विशेष पथ कर पंजिकाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 310 नमूना जांचित मामलों में से 91 मामलों में ₹95.58 लाख की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। विभाग ने न तो विशेष पथ कर की मांग की थी और न ही इसका वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹95.58 लाख[11] के विशेष पथ कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कर के गैर-भुगतान के लिए निर्धारित दर पर ₹23.89 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य इसे इंगित किए जाने पर निदेशक (परिवहन), शिमला ने जून और अगस्त 2014 में सूचित किया कि ₹51.18 लाख में से शिमला तथा सोलन के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा ₹15.17 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि सम्बंधित स्टेज कैरिजों को विशेष पथ कर जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी की जा रही थी (दिसम्बर 2014)।

---

10 मण्डी: ₹28.55 लाख, शिमला: ₹37.33 लाख, सोलन: ₹22.75 लाख तथा ऊना: ₹13.76 लाख

11 बिलासपुर: आठ मामले: ₹11.16 लाख, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 11 मामले: ₹4.36 लाख, कुल्लू: 23 मामले: ₹10.60 लाख, शिमला: 22 मामले: ₹9.12 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: चार मामले: ₹3.33 लाख, सोलन: 15 मामले: ₹42.06 लाख तथा ऊना: आठ मामले: ₹14.95 लाख

5.3.8 हिमाचल पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर के बकायों की अवसूली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 12 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति कर की किस्त का भुगतान ऐसे भुगतान के लिए निश्चित अवधि की समाप्ति से एक मास के अंतर्गत नहीं करता है तो कराधान प्राधिकारी उस व्यक्ति से देय बकायों की राशि को इंगित करते हुए अपने हस्ताक्षरों के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र समाहर्त्ता को अग्रेषित करेगा और समाहर्त्ता ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर उसमें इंगित की गई राशि को उस व्यक्ति से उसी प्रकार वसूल करने के लिए प्रवृत्त होगा जैसे यह भू-राजस्व का बकाया है। मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 81 की उप-धारा 4 (क) (i) में आगे प्रावधान है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट के नवीकरण हेतु एक आवेदन को ऐसे वाहन पर देय कर के भुगतान के बिना वाहन चलाने के आधार पर खारिज कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[12] के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि 2012-13 की अवधि के लिए ₹21.08 करोड़[13] का कुल विशेष पथ कर की न तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मांग की गई थी और न ही यह हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों द्वारा मार्च 2014 तक जमा करवाया गया था, जिस पर ₹5.27 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

विशेष पथ कर का बकाया ₹70.91 करोड़ वर्ष 2008-09 से 2011-12 को पहले ही लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा चुका था और पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[14] में मुद्रित किया जा चुका था जिस पर विभाग द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों के वाहनों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों के वाहनों के मार्ग परमिटों को कर की संपुष्टि जांचे बिना समय-समय पर नवीकृत किया गया था जो उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

5.3.8.2 बंद पड़े निजी स्टेज कैरिजों का बकाया

जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[15] द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि 159 वाहन मालिकों ने उनके वाहनों का सड़क पर चलना बंद होने अथवा सम्बंधित पंजीकरण प्राधिकरण के पास मार्ग परमिट के साथ उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने से पहले जनवरी 2000 से सितंबर 2012 की अवधि के लिए ₹1.39 करोड़ की शास्ति से अंतर्ग्रस्त ₹6.96 करोड़[16] के विशेष पथ कर की राशि जमा नहीं करवाई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 159 मामलों में से 152 मामले समाहर्त्ता को भू-राजस्व बकाया के अंतर्गत वसूली के लिए अग्रेषित किए गए थे जबकि ₹22.80 लाख के मूल्य के सात मामले मार्च

---

12 बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

13 बिलासपुर: ₹1.07 करोड़, चम्बा: ₹1.18 करोड़, हमीरपुर: ₹1.01 करोड़, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: ₹5.06 करोड़, कुल्लू: ₹2.05 करोड़, मण्डी: ₹3.15 करोड़, शिमला: ₹4.95 करोड़, सिरमौर: ₹0.77 करोड़, सोलन: ₹1.02 करोड़ तथा ऊना: ₹0.82 करोड़

14 वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: परिच्छेद 4.3.5, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10: परिच्छेद 4.6.15.1, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11: परिच्छेद 4.11, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12: परिच्छेद 5.8 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13: परिच्छेद 5.4.1

15 बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन

16 बिलासपुर: ₹2.85 लाख, कांगड़ा: ₹108.99 लाख, कुल्लू: ₹86.12 लाख, मण्डी: ₹40.24 लाख, शिमला: ₹308.00 लाख, सिरमौर: ₹92.24 लाख तथा सोलन: ₹57.22 लाख

किए गए थे। यद्यपि 14 वर्षों की अवधि पहले ही बीत चुकी थी लेकिन वसूली अभी तक प्रतीक्षित थी।

वाहनों का कोई केन्द्रीकृत डाटा निदेशालय स्तर पर अनुरक्षित नहीं किया गया था। अन्य राज्यों के स्टेज कैरिज मालिकों से ₹10.05 करोड़ के विशेष पथ कर की अल्प वसूली हुई थी। मील-दूरी की गलत दर लागू करने के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों तथा निजी स्टेज कैरिजों के सम्बंध में ₹1.30 करोड़ की कुल राशि के विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण हुआ था। 2012-13 की अवधि के लिए ₹21.08 करोड़[17] की कुल राशि के विशेष पथ कर की न तो 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मांग की गई थी और न ही यह मार्च 2014 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम की इकाइयों द्वारा जमा करवाया गया था, जिस पर ₹5.27 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

उपरोक्त बिन्दु सरकार/ विभाग को सूचित किये गये थे (जुलाई 2014); सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

5.4 करों की अवसूली

5.4.1 सांकेतिक कर

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2007 और 15 मार्च 2012 के अनुसार निर्माण उपकरण वाहनों तथा क्रेन वाले वाहनों (अधिकतम निर्धारित भार पर आधारित) के मामले में सांकेतिक कर जून 2007 से ₹8,000 (हल्के वाहनों), ₹11,000 (मध्यम वाहनों) तथा ₹14,000 (भारी वाहनों) वार्षिक की दर पर उद्ग्राह्य था। प्रावधान के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कर के अतिरिक्त देय कर की 25 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा।

लेखापरीक्षा में मई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य 20 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों,[18] आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[19] तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण, शिमला के सांकेतिक कर रजिस्टरों एवं 'वाहन' साफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि नमूना जांच किये गये 11,920 वाहनों के अभिलेखों में से 4,196 वाहनों के सम्बंध में 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों हेतु ₹2.59 करोड़ के सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि चूककर्त्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.59 के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई।

---

[17] बिलासपुर: ₹1.07 करोड़, चम्बा: ₹1.18 करोड़, हमीरपुर: ₹1.01 करोड़, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: ₹5.06 करोड़, कुल्लू: ₹2.05 करोड़, मण्डी: ₹3.15 करोड़, शिमला: ₹4.95 करोड़, सिरमौर: ₹0.77 करोड़, सोलन: ₹1.02 करोड़ तथा ऊना: ₹0.82 करोड़

[18] आनी, बैजनाथ, चम्बा, धर्मशाला, घुमारवीं, ज्वाली, कण्डाघाट, करसोग, काजा, नादौन, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा साहिब, पूह, शिमला (शहरी), सोलन, सुंदरनगर, ठियोग तथा ऊना

[19] बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, तथा ऊना

इसे इंगित किये जाने पर (मई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) निदेशक (परिवहन) ने जून 2013 तथा अगस्त 2014 के मध्य सूचित किया कि चार पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने 410 वाहनों[20] के सम्बंध में ₹107.69 लाख में से ₹26.74 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने सूचित किया (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि चूककर्त्ताओं को कर जमा कराने के लिए या तो नोटिस जारी किये जाएगें अथवा अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को मामला जून 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

5.4.2 प्रवेश कर की अवसूली/ अल्पवसूली

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी की गई अक्तूबर 2010 की आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के अनुसार, राज्य में उपयोग हेतु राज्य से बाहर किसी भी स्थान से खरीदे गये तथा हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य मोटर वाहनों के बीजक मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि कोई भी पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे मोटर वाहन का तब तक पंजीकरण नहीं करेगा जब तक कि पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता व्यक्ति निर्धारण प्राधिकारी से इस धारा के अंतर्गत देय कर को जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत न कर दे।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ज्वाली तथा दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[21] के पास अनुरक्षित वाहनों की पंजीकरण फाइलों से पाया गया कि मई 2011 से मार्च 2013 के मध्य 11 वाहनों के सम्बंध में निर्धारित दर पर ₹7.63 लाख की राशि के प्रवेश कर को वाहन मालिकों द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग के पास जमा करवाया जाना अपेक्षित था, जिसमें से चार वाहन मालिकों द्वारा मात्र ₹0.67 लाख ही जमा करवाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹6.96 लाख के प्रवेश की अवसूली/ अल्पवसूली हुई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (नवम्बर 2013 मार्च 2014 के मध्य) के पश्चात निदेशक (परिवहन) ने अगस्त 2014 में सूचित किया था कि पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, ज्वाली तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नाहन ने आठ वाहनों के सम्बंध में ₹3.26 लाख के प्रवेश कर की वसूली कर ली थी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन ने सूचित किया था कि चूककर्त्ताओं को प्रवेश कर जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी कर दी गई थी।

सरकार को मामला दिसम्बर 2013 और मई 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

---

[20] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी बैजनाथ: 33 वाहनों: ₹1.21 लाख, धर्मशाला: 32 वाहनों: ₹3.16 लाख, घुमारवीं: 39 वाहनों: ₹3.04 लाख, कण्डाघाट: 10 वाहनों: ₹0.60 लाख, नालागढ़: 93 वाहनों ₹4.32 लाख, पूह: तीन वाहनों: ₹4,500, राज्य परिवहन प्राधिकरण शिमला: 30 वाहनों: ₹2.06 लाख, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा: 15 वाहनों: ₹88,950, धर्मशाला: 35 वाहनों: ₹2.56 लाख, कुल्लू: 30 वाहनों: ₹1.41 लाख, मण्डी: 50 वाहनों: ₹5.10 लाख तथा ऊना: 40 वाहनों: ₹2.34 लाख

[21] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नाहन तथा सोलन

5.5 प्रयोक्ता प्रभारों को जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 03 सितम्बर 2005 की अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों में समस्त परिवहन सम्बंधी गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु निदेशालय परिवहन स्तर पर और प्रत्येक जिला स्तर पर ई-शासन समितियों के गठन को अनुमोदित किया था। ये ई-शासन समितियां सितम्बर 2005 से सम्बंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। समितियां सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण करती हैं तथा इन प्रभारों का 25 प्रतिशत सरकारी खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने मई 2013 तथा सितम्बर 2013 के मध्य सात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[22] के 'सेवा प्रभार संग्रहण रजिस्टरों' से पाया कि ई-शासन समितियों ने 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹69.02 लाख एकत्रित किये। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में एकत्रित प्राप्तियों का 25 प्रतिशत जो ₹17.26 लाख[23] बनता था, को सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया था, जैसाकि अपेक्षित था। इस प्रकार ₹17.26 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे थे, जिससे उस सीमा तक के राजस्व की न्यूनोक्ति भी हुई। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के 25 प्रतिशत की आवधिक भुगतान की अनुसूची तथा विलम्बित भुगतानों, आदि के मामले में उद्गृहीत किये जाने वाले ब्याज/ शास्ति का सरकार द्वारा निर्धारण नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने (मई 2013 तथा सितम्बर 2013 के मध्य) पर निदेशक (परिवहन) ने अगस्त 2014 में सूचित किया था कि चार पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा ₹10.17 लाख की राशि जमा करवा दी गई थी। शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि यद्यपि प्रयोक्ता प्रभारों की राशि आगे सरकारी कोष में जमा करवाए जाने के लिए सम्बंधित उपायुक्त के कार्यालय में जमा करवा दी गई थी और लेखापरीक्षा को चालान पृथक रूप से भेजा जाएगा।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2013 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

5.6 आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास माल व यात्री वाहनों का पंजीकरण न करवाना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम 1955 की धारा-8 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली में प्रावधान है कि स्टेज/ संविदा कैरिज तथा माल कैरिज मालिकों से उनके वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना तथा निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। दिसम्बर 1984 में जारी प्रशासनिक निर्देश यह अनुबद्ध करते हैं कि आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा और इस उद्देश्य हेतु पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ निकट समन्वय रखेगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी की गई आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 मई 2004 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान बस के मामले में यात्री कर की एकमुश्त राशि जैसाकि इस उप-नियम के खंड

---

[22] कण्डाघाट, नादौन, नालागढ़, पांवटा साहिब, पूह, शिमला (शहरी) तथा सोलन

[23] कण्डाघाट: ₹0.83 लाख, नादौन: ₹1.57 लाख, नालागढ: ₹4.66 लाख, पांवटा साहिब: ₹4.90 लाख, पूह: ₹0.44 लाख, शिमला (शहरी): ₹1.62 लाख तथा सोलन: ₹3.24 लाख

(क) के उप-खंडों (i), (ii) तथा (iii) में विनिर्दिष्ट है, तिमाही जिससे यह सम्बंधित है, के आरम्भ होने से 30 दिनों के अंदर बराबर त्रैमासिक किश्तों में भुगतान योग्य होगी। यात्री कर की वसूली वाहन की सीटों की क्षमता[24] के आधार पर की जानी है। पंजीकरण कराने में विफलता के लिए शास्ति जो इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राहय होगी।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य 12 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा छ: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पंजीकरण के अभिलेखों के साथ छ: कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[25] तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा यह पाया कि नमूना जांच किये गये 6,825 वाणिज्यिक वाहनों (माल/ यात्री/ शैक्षणिक संस्थान वाहन) जो 2010-11 तथा 2012-13 के मध्य सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत किये गये थे, में से 3,581 वाहन छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर[26] के पास पंजीकृत नहीं पाये गये जैसाकि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने इसके आगे पाया कि सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई समन्वयन नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि हेतु ₹2.29 करोड़ की राशि का यात्री व माल कर इन वाहन मालिकों से वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹17.91 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी जैसाकि **तालिका 5.2** में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.2

							₹ लाख
क्रमांक	**वाहन का प्रकार**	**अवधि**	**आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न पाये गये वाहनों की कुल संख्या/नमूना जांच किये गये वाहन**	**वसूली योग्य राशि**			
				यात्री कर	**माल कर**	**वसूली योग्य कुल राशि**	**न्यूनतम शास्ति ₹500/- प्रति वाहन**
1	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	2010-11 और 2012-13	742 / 1,660	28.65	--	28.65	3.71
2	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2010-11 और 2012-13	449 / 725	121.42	--	121.42	2.25
3	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2010-11 और 2012-13	2,390 / 4,440	--	79.17	79.17	11.95
योग			**3,581 / 6,825**	**150.07**	**79.17**	**229.24**	**17.91**

इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने अप्रैल 2014 में सूचित किया था कि ₹94.39 लाख में से ₹12.68 लाख की राशि (यात्री कर: ₹3.82 लाख तथा माल कर: ₹8.42 लाख) तीन जिलों[27] में 162 वाहन मालिकों से

---

[24] मिनि बस 30 तक बैठने की क्षमता, बड़ी बस 30 से अधिक बैठने की क्षमता

[25] चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर तथा ऊना

[26] चम्बा (525-₹22.05 लाख), कुल्लू (384-₹11.73 लाख, हमीरपुर (1288-₹92.27 लाख), मण्डी (504-₹37.25 लाख), नूरपुर (407-₹51.66 लाख), ऊना (438-₹13.38 लाख), किन्नौर (35- ₹1.10 लाख)

[27] आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर: 14 वाहन: ₹0.44 लाख, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: 112 वाहन: ₹7.66 लाख तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त नूरपुर: 36 वाहन: ₹4.58 लाख

वसूल कर ली गई थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर उपलब्ध नहीं करवाया था।

सरकार को मामला अगस्त 2013 और अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

5.7 माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर मासिक अथवा त्रैमासिक रूप से कर आदि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि वाहन मालिक देय कर के भुगतान में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसको देय कर के साथ शास्ति जो इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500 हो, जमा करवाने के लिए निर्देशित कर सकता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 9-ख (2) तथा हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1957 के नियम 22 में आगे प्रावधान है कि कराधान प्राधिकारी वाहन मालिकों को कर जमा करवाने के लिए मांग अधिसूचना जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा में छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[28] तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों की जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य नमूना जांच की गई और पाया गया कि 2,953 नमूना जांचित वाहनों में से 647 के सम्बंध में 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए ₹66.78 लाख का यात्री व माल कर इन वाहन मालिकों से वसूल नहीं किया गया था। वाहन मालिकों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण प्राधिकारियों के पास जमा नहीं करवाए गये थे और कर से छूट स्वीकृत करने के लिए इसके समर्थन में प्रविष्टियां भी अभिलेख में प्राप्त नहीं हुई थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने वाहन मालिकों को मांग सूचनाएं जारी नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹66.78 लाख के कर की वसूली नहीं हुई, इसके अतिरिक्त इन वाहनों पर ₹3.23 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी, जैसाकि **तालिका 5.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.3

							₹ लाख
क्रमांक	वाहन का प्रकार	अवधि	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया/नमूना जांच किये गये वाहन	वसूली योग्य राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	न्यूनतम शास्ति ₹500/- प्रति वाहन
1	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	2010-11 और 2012-13	186 / 1,040	21.56	--	21.56	0.93
2	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2010-11 और 2012-13	51 / 175	9.63	--	9.63	0.25
3	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2010-11 और 2012-13	410 / 1,738	--	35.59	35.59	2.05
योग			**647 / 2,953**	**31.19**	**35.59**	**66.78**	**3.23**

[28] चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर तथा ऊना

इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने अप्रैल 2014 में सूचित किया था कि ₹26.96 लाख में से ₹6.21 लाख की राशि (यात्री कर: ₹2.59 लाख, माल कर: ₹3.62 लाख) तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[29] /आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर में 69 वाहन मालिकों से वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर उपलब्ध नहीं करवाया था।

सरकार को मामला अगस्त 2013 और अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

5.8 वाहनों के पंजीकरण के पश्चात कर की अवसूली

5.8.1 कर का भुगतान न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 की धारा 19 (क) एवं (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले के आबकारी एवं कराधान कार्यालय में यात्री तथा माल कर प्रपत्र-23 में दैनिक संग्रहण रजिस्टर तथा यात्री तथा माल कर प्रपत्र -24 में मांग तथा संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा जिसमें अधिनियम के अंतर्गत कर, अधिकर अथवा शास्ति अथवा अन्य देय राशि के प्रमाण में प्राप्त प्रत्येक चालान का विवरण जो मोटर वाहन मालिकों द्वारा दिये गये हैं, को दर्ज किया जाएगा। अधिनियम के नियम 20 में प्रावधान है कि चालान चार प्रतियों में भरे जाएगें, एक प्रति कोषागार द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति कोषागार द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा अन्य दो प्रतियां वाहन मालिकों को किये गये भुगतान के प्रमाण के रूप में वापिस की जाएगी जिस में से एक प्रति मासिक विवरण के साथ संलग्न की जाएगी तथा दूसरी प्रति वाहन मालिक द्वारा अपने अभिलेख हेतु रखी जाएगी।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर के कार्यालय में अनुरक्षित दैनिक संग्रहण रजिस्टर की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2010-11 और 2012-13 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 101 वाहन मालिकों ने अपने वाहन पंजीकृत करवाए थे और पंजीकरण के समय कर की मात्र एक किस्त का भुगतान किया था। तत्पश्चात न तो विभाग द्वारा मांग सूचनाएं जारी की गई थी, न ही वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था। विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹13.72 लाख के कर की अवसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने (अगस्त 2013) के पश्चात आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सितम्बर 2014 में सूचित किया कि 27 वाहन मालिकों से ₹3.50 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। वसूली पर आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

---

[29] आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर: 26 वाहन: ₹1.45 लाख, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर: छ: वाहन: ₹0.94 लाख, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: 34 वाहन: ₹3.68 लाख तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त नूरपुर: 3 वाहन: ₹0.14 लाख

5.8.2 निर्माण कम्पनियों से माल कर की अवसूली

लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा तथा हमीरपुर के कार्यालय में अनुरक्षित पंजीकरण रजिस्टर तथा मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की नमूना जांच की (अगस्त 2013) और पाया कि दो निर्माण कम्पनियां निर्माण कार्य में प्रवृत्त थी और उनके पास हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास मार्च 2007 और दिसम्बर 2010 के मध्य पंजीकृत 54 माल वाहन[30] थे। अभिलेखों के अनुसार 46 वाहनों के सम्बंध में माल कर का भुगतान अक्तूबर 2010 तक प्राप्त किया गया था जबकि 8 वाहनों के सम्बंध में उनके पंजीकरण के समय से माल कर का भुगतान किया नहीं गया था। उसके बाद (नवम्बर 2010 और उससे आगे) न तो इन कम्पनियों द्वारा माल कर का भुगतान किया गया था, न ही निर्धारण प्राधिकारी ने कर का कोई निर्धारण किया था। अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह इंगित हो कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त चम्बा तथा हमीरपुर द्वारा इन कम्पनियों अथवा वाहन मालिकों को माल कर जमा करने के लिए कभी कोई मांग सूचनाएं जारी की गई थी। अत: निर्धारण प्राधिकारी की निष्क्रियता के कारण नवम्बर 2010 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ₹10.13 लाख के माल कर की अवसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने (अगस्त 2013) के पश्चात आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सितम्बर 2014 में सूचित किया कि 46 वाहन मालिकों से ₹9.65 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। वसूली पर आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

सरकार को मामला सितम्बर 2013 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

---

30 चम्बा: 18 वाहन: ₹3.30 लाख तथा हमीरपुर: 36 वाहन: ₹6.83 लाख